



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15062026-273475
CG-DL-E-15062026-273475

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2957]

नई दिल्ली, शनिवार, जून 13, 2026/ज्येष्ठ 23, 1948

No. 2957]

NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 13, 2026/JYAISTHA 23, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जून, 2026

का.आ. 3063(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 458 के निम्बीजोधा-डेगाना-मेड़ता सिटी खण्ड के चैनेज 38+800 से चैनेज 43+600 के मध्य में प्रस्तावित शेरानी आबाद बाईपास (चैनेज 0+000 से चैनेज 5+438) निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिये उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लेखित राज्य, जिले, तालुक और गाँवों से सम्बन्धित अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भू-खण्ड के संबंध में इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

राजस्थान राज्य में "राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 458 के निम्बीजोधा-डेगाना-मेड़ता सिटी खण्ड के चैनेज 38+800 से चैनेज 43+600 के मध्य में प्रस्तावित शेरानी आबाद बाईपास (चैनेज 0+000 से चैनेज 5+438)" हेतु भूमि अर्जन।

| क्रमिक संख्या 1 | सक्षम प्राधिकारी 2 | भूमि का विवरण 3 | राज्य 4 | जिले का नाम 5 | तालुक का नाम 6 | गांव का नाम 7 |
|--------------------|-------------------------|--|------------|------------------|-------------------|---|
| 1 | उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना | राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH458 के कि.मी 0 से कि.मी 5.438 तक | राजस्थान | डीडवाना-कुचामन | छोटी खाटू | 1 डाबगाँव 2 शेरानी आबाद 3 खाटूखुर्द |

[फा. सं. 128486]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th June, 2026

S.O. 3063(E).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officer mentioned in column (2) of the schedule annexed here to as the competent authority to perform the functions of such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said schedule relating to State District, Taluka and Villages mentioned in columns (4), (5), (6) & (7) respectively of the said schedule for building, maintenance, management and operation of "Sherani Abad bypass (from Km 0+000 to Km 5+438) between existing Ch. of NH-458 from Km 38+800 to Km 43+600 road section of Nimbijodha-Degana-Merta City section of NH-458" in the state of Rajasthan.

SCHEDULE

Land acquisition on Sherani Abad bypass (from Km 0+000 to Km 5+438) between existing Ch. of NH-458 from Km 38+800 to Km 43+600 road section of Nimbijodha-Degana-Merta City section of NH-458 in the state of Rajasthan.

| Sl. No. 1 | CALA 2 | Stretch 3 | State 4 | District 5 | Taluk/Mandal 6 | Name of the Village 7 |
|--------------|---------------------------------|------------------------|------------|------------------|-------------------|--|
| 1 | SUB DIVISIONAL OFFICER, DIDWANA | NH458 KM 0 TO KM 5.438 | RAJASTHAN | Didwana-Kuchaman | Chhoti Khatu | 1 Dabgaon 2 Sherani Abad 3 Khatu Khurd |

[F. No. 128486]

SHAIKH AMINKHAN, Director